न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज०
पीठासीन अधिकारी- सुश्री अंजु शर्मा ,आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या-18/2020 प्रार्थना पत्र दिनांक 30.12.2021

अनवान

गणेशी देवी पत्नि देवीलाल जाति मेनारिया उम्र वयस्क निवासी मधुवन सेंती तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़।

..........प्रार्थीया

|| बनाम ||

1. प्यारी बाई पत्नि प्रभुलाल गाडरी उम्र वयस्क निवासी चतरा का खेडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
2. बेनकी बाई पुत्री प्रभुलाल गाडरी उम्र वयस्क निवासी चतरा का खेडा तहसील भदेसरजिला चित्तौड़गढ़
3. रोशनबाई पुत्री प्रभुलाल गाडरी उम्र वयस्क निवासी चतरा का खेडा तहसील भदेसरजिला चित्तौड़गढ़
4. मांगीलाल पिता देवा गाडरी उम्र वयस्क निवासी चतरा का खेडा तहसील भदेसरजिला चित्तौड़गढ़
5. ओमप्रकाश पुत्र हिरालाल मेनारिया उम्र वयस्क निवासी भदेसर तहसील भदेसरजिला चित्तौड़गढ़
6. पुष्पादेवी पत्नि ख्यालीलाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी भदेसर तहसील भदेसरजिला चित्तौड़गढ़
7. रतनदेवी पत्नि लालचंद ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी भदेसर तहसील भदेसरजिला चित्तौड़गढ़
8. राजस्थान सरकार जरिये अधिकारी तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:44:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

...............विपक्षीगण

Scanned with CamScanner

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ,
उपस्थित-श्रीनरेन्द्र सिंह पंवार वकील प्रार्थीया

हस्तगत प्रार्थना के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में जोडी गई नवीन धारा 251-ए के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया -

1. यह कि प्रार्थीया की मौजा ग्राम चतरा का खेडा प०ह० पोटला कलां तहसील भदेसर में संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात स्थित है जिसके खाता संख्या 27 में अंकित आराजी नमबर 2 रकबा 0.04 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 3 रकबा 1.20 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 4 रकबा 4.31 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 5 रकबा 1.05 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 6.60 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थिया की उक्त आराजीयात के पास ही विपक्षीगण की ग्राम लक्ष्मीपुरा की खाता संख्या 26 पर दर्ज आ०नं० 3 रकबा 1.30 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 32 पर दर्ज आ०नं० 8 रकबा 1.16 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थिया अपनी संयुक्त खातेदारी की आराजीयात पर विपक्षी की आ०नं० 03 एवं 08 की पूर्वी दिशा में स्थित नाले के सहारे सहारे होकर दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा में स्थित कदीमी रास्ते होकर अपनी आराजीयात पर आती जाती है एवं इसी रास्ते से बैलगाडी व ट्रेक्टर के माध्यम से अपनी कृषि फसल एवं उपकरण वर्षो से लाती ले जाती रही है।
2. यह कि प्रार्थीया के पास अपनी उक्त आराजीयात पर विपक्षीगण की आराजी नम्बर 03 एवं 08 के पूर्व में बने नाले के सहारे सहारे जाने वाले कदीमी रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:14:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

वैकप्पिक रास्ता प्रार्थीया के पास आवागमन का नहीं है। लेकिन राजस्व रेकार्ड में उक्त मार्ग रास्तादर्ज नहीं है। वर्तमान में विपक्षीगण में प्रार्थीया को उक्त कदीमी रास्ते से आवागमन करने से रोक दिया है जिससे प्रार्थीया अपनी उक्त आराजीयात पर आवागमन नहीं कर पा रही है और ना हि अपनी आराजीयात का उपयोग उपभोग कर पा रही है। जिससे प्रार्थीया को अपनी आराजीयात पर पहुँचने के लिये विपक्षीगण की ग्राम लक्ष्मीपुरा की आ0नं0 03 एवं 08 की पूर्वी दिशा में स्थित नाले के सहारे सहारे दक्षिणी दिशा से उत्तर दिशा में स्थित कदीमी रास्ते को प्रार्थीया से रास्ते की भूमि का डीएलसी दर से मुआवजा लेकर रेकार्ड में रास्ता दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक होने से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीया सरकारी मापदण्डानुसार डीएलसी दर से रास्ते की भूमि की किमत अदा करने को तैयार एवं तत्पर है।

अतःप्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयातखाता संख्या 27 में अंकित आराजी नमबर 2 रकबा 0.04 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 3 रकबा 1.20 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 4 रकबा 4.31 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 5 रकबा 1.05 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 6.60 हैक्टेयरभूमि पर आने जाने हेतु विपक्षी की ग्राम लक्ष्मीपुरा की खाता संख्या 26 पर दर्ज आ0नं0 3 रकबा 1.30 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 32 पर दर्ज आ0नं0 8 रकबा 1.16 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थिया अपनी संयुक्त खातेदारी की आराजीयात पर विपक्षी की आ0नं0 03 एवं 08 की पूर्वी दिशा में स्थित नाले के सहारे सहारे होकर दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा में स्थित कदीमी रास्ते को

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:14:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

कार्ड में सरकारी मापदण्डानुसार रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय निर्णय के बिन्दु तक पहुचने एवं राजस्व रिकार्ड व मौके की वस्तुस्थिति को रिकार्ड पर लिये जाना उचित होने से तहसीलदार भदेसर को मौका कमीशनर नियुक्त जाकर मौका कमीशनरी रिपोर्ट तलब की गई।

पैरोकार सरकार व कमीशनर तहसीलदार भदेसर द्वारा मौका कमीशनरी रिपोर्ट तैयार कर अपने पत्र संख्या राजस्व/2021/992 दिनांक 30.12.2021 से प्रस्तुत की गई जो इस प्रकार है :-

1. प्रार्थिया की ग्राम चतरा का खेडा की आराजी नम्बर 2, 3, 4, 5 पर आने जाने के रास्ते का अभाव है।
2. मौकानुसार वर्तमान में प्रार्थीया एवं अन्य संयुक्त खातेदार आराजी के दक्षिण दिशा स्थित लगती हुई ग्राम लक्ष्मीपुरा की आ0नं0 5 नाले के सहारे सहारे होकर खसरा संख्या 3, 4, 7, 8, 10 में से होकर आते जाते रहे है, इसके अलावा आवागमन का और कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है।
3. अतः प्रार्थिया के सुगम आवागमन हेतु ग्राम लक्ष्मीपुरा की आराजी नम्बर 03 रकबा 1.30 हैक्टेयर में से 70 मीटर लम्बा एवं 5 मीटर चौडा रास्ता (70*5= 350 sqmt)यानि 0.035 हैक्टेयर भूमि एवं आराजी नम्बर 08 रकबा 1.16 हैक्टेयर में से 40 मीटर लम्बा एवं 5 मीटर चौडा रास्ता (40*5= 200 sqmt) यानि 0.02 हैक्टेयर भूमि को प्रस्तावित नक्शे अनुसार प्रयुक्त होने वाली कुल भूमि 0.055 हैक्टेयर भूमि ... की दुगनी दर से जमा कराने पर रास्ता दर्ज किया जा ...

बहस सुनी गई । लायक अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया गया कि प्रार्थीया की

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:14:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ

Scanned with CamScanner

आराजीयात पर पहुंच मार्ग हेतु कोई रिर्कोडेड मार्ग नहीं है तथा विपक्षीगण की आराजीयात में से कदीम से आ जा रहें है इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है । अतः प्रार्थीया की आराजीयात पर पहुंच मार्ग हेतु कदीमी मार्ग को रास्ता के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावें ।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं कमीशनरी रिपोर्ट का अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थीया की ग्राम चतरा का खेडा के आराजी नम्बर 2, 3, 4, 5 पर पहुंच मार्ग हेतु रिर्कोडेड मार्ग उपलब्ध नहीं होना प्रमाणित है, तथा इस आराजीयात पर पहुंचने हेतु मार्ग का अभाव होने से विपक्षीगण की ग्राम लक्ष्मीपुरा की खाता संख्या 26 पर दर्ज आ0नं0 3 रकबा 1.30 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 32 पर दर्ज आ0नं0 8 रकबा 1.16 हैक्टेयर कृषि भूमि की पूर्वी दिशा में स्थित नाले के सहारे सहारे होकर दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा में स्थित कदीमी रास्ते के से आवागमन के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है प्रार्थीया आवागमन हेतु वास्तविक स्थाई रास्ता चाहते है।

प्रस्तुत कमीशनरी रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया की जोत पर पंहुच मार्ग का अभाव होना पूर्णतया साबित है । राजस्व ग्रुप–6 विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक पं.2 (63) राज.9/20.14 जयपुर दिनांक 20–9–2014 एवं परिपत्र कमांक प.3(52) राज.6/2012/4 जयपुर दिनांक 14–1–2014 के अनुसरण में संबंधित खातेदार को अपनी आराजीयात /खेतों पर पहुंच के लिए रास्ता गुजरता है या नवीन रास्ता प्रस्तावित है तो रास्ते में आने वाली भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत समर्पण किया जाकर रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाता है यदि ऐसे प्रस्तावित रास्ते के बीच में यदि कोई भूमि पडती है तो खातेदार अपनी जोत तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:14:59 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
...र, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

नया मार्ग कायमी हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क में प्रावधान किया गया है । खातेदार की जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव होने की स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2014 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि की दरों का दुगना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रद्वत्त किया जाने के प्रावधान किये गये हैं चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीया की आराजी नम्बर 2, 3, 4, 5 पर पहुंचने के लिए विपक्षीगण की ग्राम लक्ष्मीपुरा कीआराजी नम्बर 03 रकबा 1.30 हैक्टेयर में से 70 मीटर लम्बा एवं 5 मीटर चौडा रास्ता (70*5= 350 sqmt) यानि 0.035 हैक्टेयर भूमि एवं आराजी नम्बर 08 रकबा 1.16 हैक्टेयर में से 40 मीटर लम्बा एवं 5 मीटर चौडा रास्ता (40*5= 200 sqmt) यानि 0.02 हैक्टेयर भूमि कुल भूमि 0. 055 हैक्टेयरका रास्ते हेतु उपयोग होना तहसीलदार भदेसर द्वारा कमीश्नरी रिपोर्ट में मार्ग प्रस्तावित किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र 251–ए निम्न शर्तो के अध्यधीन स्वीकार किया जाता है –

1. ग्राम चतरा का खेडा प0ह0 पोटला कलां तहसील भदेसर में संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात स्थित है जिसके खाता संख्या 27 में अंकित आराजी नमबर 2 रकबा 0.04 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 3 रकबा 1.20 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 4 रकबा 4.31 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 5 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 6.60 हैक्टेयर भूमि रेकोर्डेड मार्ग नहीं होकर पहुच मार्ग का अभाव होने से वर्तमान मार्ग के रूप में उक्त आराजी के पडोस की विपक्षीगण की ग्राम लक्ष्मीपुरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:14:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

कीआराजी नम्बर 03 रकबा 1.30 हैक्टेयर में से 70 मीटर लम्बा एवं 5 मीटर चौडा रास्ता (70*5= 350 sqmt) यानि 0.035 हैक्टेयर भूमि एवं आराजी नम्बर 08 रकबा 1.16 हैक्टेयर में से 40 मीटर लम्बा एवं 5 मीटर चौडा रास्ता (40*5= 200 sqmt) यानि 0.02 हैक्टेयर भूमि कुल भूमि 0.055 हैक्टेयरभूमि तहसीलदार भदेसर द्वारा प्रस्तुत कमीशनरी रिपोर्ट अनुसार अवाप्त की जाकर प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

2. रास्ता हेतु रास्ते हेतु अवाप्त की जाने वाली 0.055 हैक्टैयर भूमि का वर्तमान प्रचलित बाजार दर मूल्याकंन की दुगुनी राशि प्रार्थीया से वसूल कर हितबद्ध खातेदारान् को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में नियमानुसार संदाय किये जाने के उपरान्त ही उक्त भूमि का राजस्व रेकार्ड में अमल किया जा सकेगा ।

3. रास्ता हेतु प्रयुक्त होने वाली भूमि पर प्रार्थीया का एकाधिकार नहीं होकर सार्वजनिक हितार्थ होगा तथा इस संबंध में प्रार्थीया को रास्ते की भूमि के स्वामित्व के अधिकार प्रोद्भूत नहीं होगें।

निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार भदेसर को उक्तानुसार रास्ते हेतु भूमि अवाप्त की जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाने प्रेषित की जावे। निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:14:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner